भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग

राज्यसभा

तारांकित प्रश्न संख्या- 195

दिनांक 03 अगस्त, 2018 के लिए प्रश्न

विषय : मदर डेयरी के शेयरों की बिक्री

195. श्री हरिवंशः

क्या कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या संप्रग शासन के दौरान मदर डेयरी के फल एवं सब्जियों के सभी या आंशिक शेयरों को निजी कंपनी को बेचने का कोई प्रस्ताव था;

(ख) यदि हां, तो उस समय सरकार का क्या विचार था;

(ग) क्या यह सच है कि सरसों के अनुसंधान के लाभ एन॰ डी॰ डी॰ बी॰ द्वारा उसी ग्रुप को दिए गए हैं; और

(घ) क्या सरकार एक केंद्रीय जांच अभिकरण द्वारा हितों के संभावित आपसी टकराव की जांच करेगी?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री

(श्री राधा मोहन सिंह)

(क) से (घ): विवरण सभा पटल पर रखा दिया गया है।

दिनांक 03.08.2018 को राज्य सभा में मदर डेयरी के शेयरों की बिक्री के संबंध में पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न सं. 195 के उत्तर के भाग (क) से (घ) में सदंर्भित विवरण।

क) राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (एनडीडीबी) से प्राप्त सूचना के अनुसार, एनडीडीबी के पास ऐसा कोई रिकार्ड उपलब्ध नहीं है।

ख) उपर्युक्त (क) के आलोक में प्रश्न ही नहीं उठता ।

ग) जी नहीं। एनडीडीबी से वित्तीय सहायता प्राप्त दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित फसली पौधों का आनुवांशिक हेर-फेर संबंधी केंद्र 1996 से सितम्बर, 2016 तक रेपसीड-सरसों में सुधार कर रहा था। इस परियोजना के परिणामों का पेटेंट करा लिया गया है तथा इसके पेटेंट अधिकार संयुक्त रूप से एनडीडीबी तथा दिल्ली विश्वविद्यालय के पास हैं।

घ) उपर्युक्त (ग) के आलोक में प्रश्न ही नहीं उठता।
